न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान

गजराज सिंह बनाम मांगीलाल

किस्म मुकदमा धारा-225 मि.नं. 2021/66 सन

अभिभाषक अपीलान्ट श्री भुवनेश कुमार शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री रमेश [illegible]
R-1 to 4

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24.5.24	पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण एवं अभि० अपीलांट को रूक-रूक कर तीन बार आवाजें लगवायी गयी, फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अभिभाषक अपीलांट पूर्व मे भी दिनांक 5.1.24, 2.2.24 व 17.5.24 को भी अनुपस्थित रहे हैं। अभिभाषक अपीलांट द्वारा शेष रेस्पो क्र. 5 को नोटिस सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए० डी० आदिनांक तक पेश नहीं किये गये हैं। अत: पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

स्टे

भू प्रबंध अधिकारी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राजस्थान)

श्री भुवनेश कुमार शर्मा PSo द्वारा पेश की गई। रीडर बाद जांच रिपोर्ट पेश करें।

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)

1. गजराज सिंह पुत्र स्व. श्री हरिसिंह, जाति राजपूत
2. धनराज सिंह पुत्र स्व. श्री हरिसिंह, जाति राजपूत
3. कमला कुंवर वर्ष पत्नि स्व. श्री हरिसिंह, जाति राजपूत, निवासीगण सलावद, तहसील बकानी जिला झालावाड (राज.)

..........अपीलार्थीगण

–बनाम–

वकालतनामा पेश

1. मांगीलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति तेली
2. दुलीचन्द पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति तेली
3. बाबूलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति तेली
4. रामप्रसाद पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति तेली
   निवासीगण सलावद, तहसील बकानी जिला झालावाड (राज.)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बकानी, जिला झालावाड (राज.)

..........प्रत्यर्थीगण

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 22.03.2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड (राज.)
बउनवान मांगीलाल व अन्य बनाम गजराज व अन्य,
प्र0सं0 233/प्रार्थना पत्र/2016 तारीख दायरा 22.08.2021
अन्तर्गत धारा 225 (II) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

मान्यवर,

अपीलार्थीगण निम्न विनय करते है :–

(1). यह कि प्रत्यर्थीगण कम 1, 2 व 3 द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रस्तुत किया जिस पर सुनवाई उपरांत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 22.03.2021 पारित किया है कि "प्रार्थीगण को ग्राम सलावद पटवार मण्डल सलावद तहसील बकानी के खाता संख्या नया 39 पुराना 102 खसरा नम्बर 595 व 596 पर पहुंचने के लिए तथा कृषि उपकरण ट्रैक्टर ट्रोली हलकुली इत्यादि लाने ले जाने के लिए तथा इत्यादि तथा स्वयं प्रार्थीगण के आने जाने के लिए 13 फीट चौडा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 594 में उत्तरी दिशा मेड से होकर दिये जाने के आदेश इस आश के साथ दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण के द्वारा उपभोग किये जाने वाले रास्ते जिसकी चौडाई 13